राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि.,

(राजस्थान सरकार का प्रतिष्ठान)

एस .बी.यू. एण्ड पी. सी. जिप्सम, 2, गॉधी नगर योजना, बीकानेर

फोन नं. - 0151–2200171–75, 2540537 फैक्स नं. - 0151–2523519

निविदा संख्या / आर.एस.एम.एम. / जिप / प्रशा / 4(8) / 2015–298 दिनांक : 02.06.2015

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि., एस .बी.यू. एण्ड पी. सी. जिप्सम, बीकानेर कार्यालय में केन्टिन (जल पान गृह) चलाने हेतु निविदा प्रपत्र।

निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि व समय :	दिनांक 24.06.2015 समय : प्रातः 11.00
निविदा खुलने की तिथि व समय :	दिनांक 24.06.2015 समय : प्रातः 11.30
निविदा प्रपत्र की बिक्रीः	दिनांक 08.06.2015 से दिनांक 22.06.2015 प्रातः 10.00 से सायं 4.00 बजे तक (कार्यालय दिवस में)
स्थान :	आर.एस.एम.एम.लि.,2, गॉधी नगर योजना, बीकानेर ।
निविदा प्रपत्र का मूल्य :	रू. 570 / –(अखरे रूपये पॉच सौ सत्तर मात्र) वेट सहित)

समूह महा प्रबंधक (जिप्सम)
बीकानेर कार्यालय की ओर से जारी

कॉर्पोरेट कार्यालय
4,मीरा मार्ग, उदयपुर
फोन : 0294–2428763–67

रजिस्टर्ड कार्यालय
89–90 लालकोठी स्कीम,
जयपुर
फोन : 0141–2743735

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि.

(राजस्थान सरकार का प्रतिष्ठान)

एस .बी.यू. एण्ड पी. सी. जिप्सम, 2, गॉधी नगर योजना, बीकानेर

फोन नं. . 0151–2200171–75ए 2540537 फैक्स नं. . 0151–2523519

क्र. आरएसएमएम/जिप/ **प्रशा** /4(8)/2015 –298 दिनांक : **02.06.2015**

<u>निविदा नियम एवं शर्ते :–</u>

1. राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि., एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम, प्लाट नं.2, गॉधी नगर स्कीम, बीकानेर कार्यालय में केन्टिन (जल पान गृह) चलाने हेतु मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

2. 2.1 निविदाएं दो लिफाफों में निम्नानुसार भरनी है। –

(अ) प्रथम लिफाफे में जिस पर ''टेक्नीकल बिड'' लिखा होगा, में निम्नलिखित दस्तावेज होंगें।

(1) वांछित धरोहर राशि रू.7,000/–का डिमाण्ड ड्राफट/पे आर्डर ।

(2) कोई निकट संबंधी का आर.एस.एम.एम.एल. में नियुक्त नही होने का प्रमाण–पत्र।

(3) निविदाकार को सरकारी/प्राइवेट संस्थानों में पिछले तीन (3)वर्षो में कम से कम एक (01) वर्ष केन्टीन चलाने का संतोषजनक अनुभव होना चाहिए । निविदाकार का उक्त संस्थान का इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा ।

(ब) दूसरे लिफाफे में जिस पर ''वित्तीय बिड'' लिखा होगा, अनुलग्नक–<u>III</u> में दरें उल्लेखित करनी होगी।

2.2 पहले ''टैक्नीकल बिड '' खोला जायेगा एवं उसके नियमानुसार ठीक पाये जाने पर दूसरा''वित्तीय बिड'' लिफाफा खोला जायेगा।

2.3 (क) दोनों लिफाफों को एक तीसरे लिफाफे में बंद करके उस पर निम्न पता लिखना होगा।
समुह महा प्रबन्धक, आर.एस.एम.एम.लि.,एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम, 2, गॉधी नगर योजना, बीकानेर।

(ख) लिफाफों के उपर ''निविदा क्रमांक एवं दिनांक **24.06.2015** के पूर्व न खोला जाए''लिखा होना चाहिए।

(ग) लिफाफों के उपर ' निविदाकार द्वारा अपना नाम व पता एवं फोन नंम्बर स्पष्ट लिखा होना चाहिए।

3. निविदा मोहरबंद लिफाफे में जिस पर समुह महा प्रबन्धक, एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम, 2, गॉधी नगर योजना ,आर.एस.एम.एम.एल., बीकानेर कार्यालय लिखा होगा ,दिनांक **24.06.2015** को प्रातः 11.00 बजे तक पहुॅच जानी चाहिए। निविदाएं उसी दिन प्रातः 11.30 बजे वरि. प्रबन्धक(का.एवं प्रशा.) के कक्ष में खोली जायेगी।

4. **धरोहर राशि (Earnest Money)**

4.1 निविदा प्रपत्र जमा कराने के साथ निविदा सूचना में दी गई राशि रू.7000/– (रूपये सात हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर धरोहर राशि के रूप में संलग्न करना होगा, जो कि आर. एस. एम. एम. लि. बीकानेर के नाम से देय हो ।बिना धरोहर राशि के निविदा प्रपत्र स्वीकृत नहीं किये जाएंगे।

4.2 सफल निविदाकार की धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित कर दिया जाएगा।

4.3 धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

5 **प्रतिभूति राशि (Security Deposit)**

5.1 प्रतिभूति राशि रू 35000/-(रूपये पेतिस हजार मात्र) होगी। सफल निविदाकार की धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित कर दिया जाएगा।धरोहर राशि समायोजन करने के पश्चात् 50 प्रतिशत प्रतिभूति राशि डिमाण्ड ड्राफट के रूप में कार्य आदेश/सहमति पत्र एल0ओ0ए0 जारी करने के 15 दिन के अन्दर जमा करानी आवश्यक होगी एवं शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रतिमाह के बिलों में से 10 प्रतिशत की दर से से किया जायेगा।

5.2 अगर ठेकेदार कार्य करने में असफल रहता है तो कम्पनी अपने निर्णय से प्रतिभूति राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर सकेगी।

5.3 कम्पनी को पूर्ण अधिकार होगा कि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर अथवा किसी प्रकार की हानि अथवा अनियमितता होने पर प्रतिभूति राशि में से होने वाले नुकसान की भरपायी रकम काट कर की जा सकेगी। ऐसी कटौती के परिणाम स्वरूप प्रतिभूति राशि में कोई कमी होती है तो उसकी पूर्ति ठेकेदार के मासिक बिलों में से की जा सकेगी।

5.4 प्रतिभूति राशि का भुगतान अनुबंध के समाप्त होने के सामान्यतः छः (06) माह के पश्चात कर दिया जाएगा। ठेकेदार को सभी प्रकार की कटौतियॉ, श्रमिकों का वेतन इत्यादि का भुगतान कर दिया है का प्रमाण पत्र, एवं नो डयूज और नो क्लेम का प्रमाण पत्र (No dues and no claim certificte) भी देना आवश्यक हैं।

5.5 प्रतिभूति राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

6 विभाग की ओर से केन्टीन के लिये ठेकेदार को भवन, बिजली व पानी निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा। अन्य सभी सामान की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। केन्टीन में उपयोग होने वाली वस्तुओं को तैयार करने के लिए निविदाकार द्वारा विभागीय बिजली का उपयोग नहीं किया जायेगा। एवं यदि ऐसा करते हुवे पाये जाने पर रू.500/- की पेन्लटी ठेकेदार से वसूल की जायेगी एवं बिजली का उपकरण भी जब्त कर लिया जायेगा, जो वापिस नहीं लौटाया जायेगा ।

7 निविदाकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र से अधिक होना आवश्यक है।

8 निविदाकार को चाहिये कि उसके अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति साफ-सुथरे व निरोगी हो। रोगी एवं संक्रमित व्यक्ति को केन्टीन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

9 निविदाकार के अधीनस्थ कार्यरत व्यक्तियेां को किसी दुर्घटना अथवा चोट आदि का मुआवजा अथवा अन्य किसी प्रकार का दावा व भुगतान निविदाकार को स्वयं करना होगा और विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

10 निविदाकार के अधीनस्थ कार्यरत व्यक्तियेां का व्यवहार विभागीय कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण होना आवश्यक है।

11 निविदाकार के अधीनस्थ कार्यरत व्यक्तियेां के वेतन, भत्ते अथवा अन्य भुगतान ठेकेदार को करने होगें तथा किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए यह विभाग जिम्मेदार नहीं है।

12 निविदाकार के अधीन कार्यरत व्यक्तियेां के बारे में पूरी जानकारी निविदाकार स्वयं रखेंगे एवं सुरक्षा कारणों से विभाग द्वारा मांगने पर उपलब्ध कराएंगे।

13 खाद्य व पेय सामग्री बनाए जाने, रखे जाने व उपलब्ध कराई गई खाद्य सामग्री व पेय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम होना आवश्यक है।

14 विभाग द्वारा अनुसूची व स्वीकृत खाद्य/पेय पदार्थो की मात्रा, किस्म व दर में ठेकेदार द्वारा अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार का परिवर्तन निविदा शर्तो का उल्लघंन समझा जायेगा।

15 प्रत्येक कर्मचारी को कंपनी की ओर से प्रतिदिन उपस्थिती के आधार पर 3 चाय कूपन देय है। ठेकेदार प्रतिमाह चाय कूपन एकत्रित कर दिनांक 15 तक चाय कूपन जमा कराकर भुगतान प्राप्त करने के लिए

प्रस्तुत कर सकेगा।कर्मचारियों को यदि ठेकेदार की ओर से खाद्य व पेय उधार में उपलब्ध कराई जाती है, तो उस की राशि की वसूली के संबंध में स्वयं ठेकेदार जिम्मेदार होंगा।

16 खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता की जांच कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा कभी भी की जा सकेगी। प्रशासन द्वारा कोई भी अनियमितता/गुणवत्ता की कमी पाये जाने पर 1000 रू. की पेनाल्टी ठेकेदार से ली जाएगी। प्रबंधन द्वारा समय–समय पर दिये गये सुझाव/आदेश ठेकेदार को मानने होंगे।

17 यह निविदा एक (01) वर्ष के लिए मान्य होगी । सफल निविदाकार के साथ विभाग एक अनुबंध भी करेगा जो एक (01वर्ष तक मान्य होगा।

18 कम्पनी के सामान की संपूर्ण सुरक्षा ठेकेदार की होगी। किसी भी तरह की टूट–फूट होने पर उक्त सामान की पूरी कीमत ठेकेदार से वसूल की जाएगी। सफल निविदादाता को सभी संसाधन स्वयं ही जुटाने होंगे एवं उक्त कार्य अन्य किसी व्यक्ति को ठेके पर नहीं देगा।

19 केंटीन प्रत्येक कार्य दिवस प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 तक खुली रखनी होगी एवं अवकाश के दिन आवश्यकता होने पर केंटीन खोलनी होगी ।

20 निविदादाता अनुलग्नक–1 में अपना परिचय एवं नियम एवं शर्तों की सहमती प्रमाण–पत्र देंगें।

21 समूह महा प्रबन्धक (जिप्सम) आर.एस.एम.एम.एल., को किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

22 समूह महा प्रबन्धक (जिप्सम) आर.एस.एम.एम.एल., किसी भी दर की निविदा को स्वीकार करने को बाध्य नहीं होगा।

23 अधिकारियों के कक्ष में खाद्य सामग्री या पेय आदि व्यवस्थित रूप से ट्रे में बोन चाईना कप प्लेट में भेजने होंगे। कर्मचारियों को चाय/काफी बोन चाईना मग में देनी होगी । निविदा अवधि के प्रारम्भ में वांछित मात्रा में क्राकरी एवं ट्रे आदि आर.एस.एम.एम. लिमिटेड के प्रबंधन से अनुमोदित करा क्रय करनी होगी।

24 कर्मचारियों को प्रतिदिन दिन में तीन बार चाय 10.30 से 11.00 बजे, 2.30 से 3.00 बजे एवं सायं 5.00 से 5.30 बजे के मध्य टेबल पर वितरित करनी होगी एवं इसके अलावा समय–समय पर टेलीफोन पर मंगवाने पर भी चाय/काफी भिजवानी होगी।

25 निविदाकार द्वारा खाद्य/पेय पदार्थ का लेन–देन कूपन प्रणाली द्वारा किया जा सकेगा।

26 निविदाकार द्वारा निविदा शर्तो का पूर्णरूपेण अनुपालना नहीं करने/कार्य को संतोष पूर्ण ढंग से निष्पादन नहीं करने व खाद्य/पेय पदार्थो को निर्धारित क्वालिटी न रखने पर निर्धारित कमेटी द्वारा उचित क्षतिपूर्ति मासिक बिल में से कटौती कर दी जाएगी।

27 विभाग द्वारा आपको सुव्यस्थित केन्टिन के लिए स्थान, किचन, पानी एवं रोशनी हेतु बिजली, बिना किसी चार्ज के दी जावेगी।

28 किसी निविदाकार के और विभाग दोनों के बीच में उठे किसी भी मतभेद की स्थिति में समूह महा प्रबन्धक (जिप्सम), आर.एस.एम.एम.एल., बीकानेर का निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों के लिए बाध्य होगा।

29 इस अनुंबंध से संबंधित किसी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र बीकानेर न्यायालय ही रहेगा ।

30 निविदाकार आवेदन तिथि से निविदा निर्णय की अवधि में अपनी निविदा वापस लेता है अथवा शर्ते तथा स्थिति में परिवर्तन करता है, तो निगम को अधिकार होगा कि धरोहर राशि पूर्ण रूप से जब्त कर ले ।

31 यदि उक्त ठेके कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का कर/सेवाकर/विक्रय इत्यादि जमा करवाने का दायित्व बनता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं भुगतान स्वयं ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

32 सिगरेट, पान गुटका, न ीले पेय पदार्थों का केन्टिन में रखना / उपलब्ध करवाना एवं विक्रय करना प्रतिबंधित होगा ।

33 केन्टिन में केवल मात्र ''**Commercial**'' यानि व्यवसाईक गैस सीलेण्डर ही उपयोग में लेना होगा ।

34 कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में एक (01) माह के अग्रिम नोटिस पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

35 आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्त्रोत पर कटौती की जावेगी एवं निविदादाता को अपना पेन नंबंर लेखा विभाग में देना होगा।

36 केंटीन नहीं खोलने के फलस्वरूप प्रतिदिन रूपये 1000/–के हिसाब से पेनाल्टी के रूप में कटौती मासिक बिल में की जावेगी। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

निविदा की अन्य विशिष्ट शर्ते

1. निविदा में निर्धारित सभी आइटम केन्टीन में उपलब्ध होने चाहिये। जिसकी प्रशासन विभाग द्वारा जांच की जा सकती है।
2. कॉन्ट्रक्टर शिकायत/सुझाव रजिस्टर केन्टिन में उपलब्ध रखेगा, जिसकी समय–समय पर जांच एवं उस पर संबंधित कार्यवाही की जायेगी। प्रशासन विभाग का निर्णय अंतिम होगा एवं निविदाकार उस निर्णय को मानने हेतु बाध्य होगा।
3. असंतोषजनक कार्य व व्यवहार की शिकायत की जांच के बाद वे यदि सही पाई गई तो प्रतिभूति राशि (Security Deposit)जब्त की जा सकती है अथवा/तथा आगामी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है।
4. किसी भी प्रकार के हानि/दावा/क्षतिपूर्ति जो ठेकेदार अथवा उसके किसी कर्मचारी द्वारा की गई लापरवाही बनती है, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कॉन्ट्रक्टर की होगी।
5. अनुबंध लागू होने की स्थिति में ठेकेदार को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और उसके अंतर्गत बनी हुई योजनाएं/नियमों और ठेकेदारों द्वारा नियोजित कामगारों पर लागू होने वाले सभी नियमों/अधिनियमों कें अंतर्गत अपना अंशदान जमा कराने का दायित्व होगा
6. कॉन्ट्रक्टर राज्य व केन्द्र सरकार के न्यूनतम वेज एक्ट, 1948 मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलेशन तथा अबोलेशन एक्ट, 1970) एम्प्लोयस लायबिलीटी एक्ट, 1938, वर्कमैन क्षतिपूर्ति एकट 1923, इण्ड्रस्टीयल डिस्प्यूट एक्ट, 1947 एम्प्लाइज स्टेट बीमा एक्ट 1948, इत्यादि तथा अन्य संबंधित नियमों का एवं समय–समय पर संशोधन सहित, का पालन करेगा।
7. कॉन्ट्रक्टर को आवश्यकतानुसार स्थानीय नगर परिषद् से शॉप एण्ड एस्टब्लीसमेन्ट एक्ट लाइसेन्स स्वयं लेना होगा।

समूह महा प्रबन्धक(जिप्सम)

<u>अनुलग्नक – I</u>

राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम,

2, गॉधी नगर योजना,

बीकानेर ।

निविदा क्र. आरएसएमएम / जिप / प्रशा / 4(8) / 2015–298 दिनांक 02.06.2015

1.	वांछित धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं. व राशि	डिमाण्ड ड्राफ्ट पे आर्डर सं....... राशि....... दिनाक.......
2	निविदाकार का नाम, वर्तमान व स्थाई पता एवं टेलीफोन नं. /मोबाईल नं /फैक्स नं./ ई मेल।	नाम....... पता....... टेलीफोन नं .... मोबाईल नं .... फैक्स नं. .... ई मेल ....
3.	आरएसटी / सीएसटी / परमानेन्ट इन्कम टैक्स नं. यदि है तो (सफल निविदाकार के लिए मांगे जाने पर आवश्यक)	
4.	नगर परिषद का पंजीकरण विवरण	
5.	निविदाकार को सरकारी / प्राइवेट संस्थानों में पिछले 3 वर्षो में कम से कम एक(1)वर्ष केन्टीन चलाने का संतोषजनक अनुभव के प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न की गई है। ।	
6	क्या निविदाकार ने अपने स्वयं के बारे में इस आशय का एक शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत किया है कि केन्द्रीय / राज्य सरकार और किसी भी सरकारी या निजी उपक्रम में उसके द्वारा किये गये कार्य के बारे में उसका कोई विवाद लम्बित नहीं है ?	
7	कोई निकट संबंधी का आर.एस.एम.एम.एल. में नियुक्त नही होने का प्रमाण–पत्र।	

<u>प्रमाण– पत्र</u>

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने आर.एस.एम.एम.एल. के निविदा क्रमांक .... जारी किये गये मूल निविदा दस्तावेज के नियम व शर्तो को पढ़ा है। उसमें उल्लेखित सभी प्रकार के नियम व शर्तो पर सहमत हूं तथा कार्यादेश मिलने के पश्चात सात दिवस में केन्टीन सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए बाध्य रहूंगां।

स्थान : ....

दिनांकः..

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक – II

निविदा संख्या/आर.एस.एम.एम./जिप/प्रशा/4(8)/2015–298 दिनांक : 02.06.2015

(To be submitted in the " Technical/Qualifying Bid" envelope)

DECLARATION

I/We ___________________________ S/o____________________________

R/o____certify that none of my relative(s) as defined below is/are employed in RSMML unit. In case at any stage, it is found that the information given by me is false then the work awarded to me can be terminated without any prior intimation to me.

Signature of Tenderer.

Note. The terms for near relatives for this purpose are defined as:

1. Members of Hindu Undivided family.
2. They are husband and wife.
3. The one is related to the other in the manner as father.
4. Mother's & son's wife (daughter-in-law), Daughter(s) & daughter husband (son in law), Brother(s)& Brother's wife, Sister(s) Sister's Husband (Brother in law).

निविदा संख्या/आर.एस.एम.एम./जिप/प्रशा/4(8)/2015– 298 दिनांक : 02.06.2015

कार्य की दरें (Rate Part)

निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना होगा :–

क.सं.	वस्तु का नाम	वजन/मात्रा प्रति इकाई	निर्धारित दर (रू.में)
1	चाय (स्टेन्र्ड ब्रांड)	125मि.ली.	दर शब्दों में रू... दर अक्षरों में रू...
2.	काफी (नेस्केफे)	125मि.ली.	दर शब्दों में रू... दर अक्षरों में रू...
3.	ब्रांडेड शीतल पेय (Branded Cold drink)	100 मि.ली.	दर शब्दों में रू... दर अक्षरों में रू...
4.	ब्रांडेड शीतल पेय (Branded Cold drink)	200 मि.ली.	दर शब्दों में रू... दर अक्षरों में रू...
5.	ब्रांडेड शीतल पेय (Branded Cold drink)	300 मि.ली.	दर शब्दों में रू... दर अक्षरों में रू...
6.	छाछ (सरस)	100 मि.ली.	दर शब्दों में रू... दर अक्षरों में रू...
7.	छाछ (सरस)	200 मि.ली.	दर शब्दों में रू... दर अक्षरों में रू...

प्रत्येक कॉलम में दरे शब्दों एवं अक्षरों (वतके – थ्यहनतमे) में होनी चाहिए।

निविदाकार के हस्ताक्षर...

निविदाकार / फर्म का नाम व मोहर...

निविदाकार का पता.. .

....

....

निविदाकार का टेलीफोन/मोबाईल नं ....

दिनांक...